रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062025-263916
CG-DL-E-17062025-263916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2651] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2025/ज्येष्ठ 27, 1947
No. 2651] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2025/JYAISTHA 27, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

का.आ. 2716(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 15 एम.टी.पी.ए. आवंटित कोल ब्लॉक अर्थात् परसा पूर्व और कांता बासन कोयला खदानों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रम संख्या 1 से 3 के सामने उक्त अधिसूचना की अनुसूची के विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2063, तारीख 21 जून, 1988 के लागू होने में छूट प्रदान करती है, अर्थात-

(i) उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों में लगे कर्मकारों के हित संरक्षित हों;

(ii) ऐसे कर्मकार को कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों के अनुर और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर मजदूरी और अन्य प्रसुविधाएं दी जाए;

(iii) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि क्या कोई राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ऐसे कर्मकारों को ऐसी मजदूरी और प्रसुविधाएं दी जाती हैं;

(iv) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रबंध यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी संविदा में कोई परिवर्तन होता है, तो विद्यमान ऐसे संविदा कर्मकार को, जो कार्यरत हैं, कर्तव्यों का अनुपालन में समाधानप्रद के अध्यधीन रहते हुए अंतर्गामी संविदाकार द्वारा नियोजन में अधिमान दिया जाएगा;

(v) उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 2063, तारीख 21 जून, 1988 की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खनन संकर्म पर प्रासंगिक या आनुसंगिक नौकरी में कार्यरत कर्मकार कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अवधारित और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार मजदूरी प्राप्त करेंगे;

(vi) संविदाकार, प्रधान नियोक्ता के अतिरिक्त उक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मजदूरी की, जो प्रत्येक छह मास में बढती है और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार अन्य फायदे का भी संदाय सुनिश्चित करेगा;

(vii) संविदा कर्मकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अधीन आएंगे; और

(viii) संविदा कर्मकारों को खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार मजदूरी सहित बोनस और छुट्टी दी जाएगी।

[फा. सं. यू-16012/01/2021-एल.डब्ल्यू(बी)]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार/महानिदेशक(श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

S.O. 2716(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts the Coal Block allotted to Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited namely Parsa East and Kanta Basan Coal Block of 15 MPTA (Opencast) District Surguja, Chhattisgarh from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 2063, dated the 21st June, 1988, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified against number 1 to 3 in the Schedule to the said notification for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following conditions, namely: -

(i) the interest of the workmen engaged in the above mentioned works shall be protected;

(ii) such workmen shall be paid wages and other benefits as per the recommendations of the High-Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and at the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

(iii) the Central Advisory Contract Labour Board shall have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in the establishment;

(iv) the management of Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited shall ensure that whenever there is a change of contract, existing contract workmen who are working may be given preference in employment by the incoming contractor, subject to the satisfactory performance of duties;

(v) the workmen working in jobs ancillary or incidental to coal mining works specified against serial numbers 1 to 3 of the Schedule to the said notification number S.O. 2063(E), dated the 21st June, 1988 shall get wages as determined by the High-Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and at the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

(vi) the contractor, as well as the principal employer, shall ensure payment of the said High-Powered Committee wages, which increases in every six months and also other benefits as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

(vii) the contract workers shall be covered under the provisions of the Payment of the Gratuity Act, 1972 (39 of 1972);

(viii) the contract workers shall be paid bonus and leave with wages as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

[F. No. S-16012/01/2021-LW(B)]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor/Director General (Labour Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.06.17 22:35:44 +05'30'